UPMP010058882022

न्यायालय Adj III, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SMT. MITA SINGH), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06148**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2136/2022

रिन्की उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र राजेश कुमार निवासी गुलाबपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी।

..... आवेदक/ अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

अपराध संख्या–170/2013
धारा– 2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना– कुरावली, जिला मैनपुरी।

दिनांकः– 14.10.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त रिन्की उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र राजेश कुमार निवासी गुलाबपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 170/2013 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुरावली , जिला मैनपुरी के अभियोग में प्रस्तुत किया गया, साथ में शपथ पत्र अभियुक्त के पैरोकार आलोक कुमार ने इस आशय का दाखिल किया है कि आवेदक का न्यायालय में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है पूर्व में जमानत प्रार्थना पत्र 509/2014 मा. न्यायालय एफ.टी.सी.प्रथम मैनपुरी के यहाँ से दिनांक 11.04.2014 को निरस्त हो चुकी है। इस द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मा. न्यायालय के अलावा भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष एस.एच.ओ. उमेश नाथ मिश्रा थाना कुरावली, मैनपुरी में जुबानी सूचना देकर दिनांक 31.05.2013 समय 23:25 बजे इस आशय की अभियोग पंजीकृत कराया कि आम जनमानस में नाजायज संगठित गिरोह के गैंगलीडर देवेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह व लालू पुत्र शिशुपाल सिंह व राहुल पुत्र तहसीलदार व रिन्की पुत्री राजेश व अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु हत्या तथा लूट जैसे जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। इनके भय एवं आतंक से आम आदमी सहम गया है । अभियुक्तगण भा.द.वि. के अध्याय 16,17 में वर्णित अपराध के अभ्यस्त अपराधी है। इनका समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अपराध सृजित होता है।

जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे पुलिस द्वारा उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने गुडवर्क के लिये गलत गैंगेस्टर की कार्यवाही की है। आवेदक भा.दं.सं. 1860 के अध्याय 16,17 में वर्णित अध्याय के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं करता है।आवेदक किसी भी संगठित गिरोह का सदस्य न तो था और न ही है। आवेदक भौतिक व आर्थिक लाभ के लिये कोई घटना कारित नहीं करता है। आवेदक की उक्त केस में जमानत मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रि. अपील सं. 273/2018 देवेन्द्र सिंह आदि बनाम उ.प्र. सरकार में पारित आदेश दिनांक 27–09–22 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक अपनी जमानत देने को तैयार है। आवेदक न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्धारित तारीखों पर हाजिर आता रहेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक /अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य एक मुकदमा लंबित हैं। आवेदक/ अभियुक्त पर आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह का सदस्य है। गिरोह का उद्देश्य साथ मिलकर आर्थिक/भौतिक लाभ हेतु हत्या तथा लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। गैंगेस्टर एक्ट की धारा– 19(4) के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में जमानत तभी दी जानी चाहिए जब न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है तथा यह भी कि अभियुक्त छूटने पर अपराध कारित नहीं करेगा। आवेदक /अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध गैंगचार्ट में दर्शित किये गये हैं। थाने की आख्यानुसार आवेदक /अभियुक्त जमानत पर छूटने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा तथा पुनः अपराध में लिप्त हो जायेगा।

अतः न्यायालय की राय में गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रिन्की पुत्र राजेश कुमार निवासी गुलाबपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 170/2013 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुरावली , जिला मैनपुरी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदानुसार निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती मीता सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
गैंगस्टर कोर्ट सं.03,मैनपुरी।

Digitally signed by Smt. Mita Kumari
Date: 2022.10.14 17:32:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Mainpuri